



न्यायालय :- राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर
II/निगरानी/अशोकनगर/भू.राजस्व/4280

प्रक. / 2017 निगरानी

श्री एस.पी. शाहदा

द्वारा आज दि 6.11.17 को

प्रस्तुत

6/11/17

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

क्र. दि. 4-12-17

1. पुतरोबाई पत्नी रामचरण अहिरवार(हरिजन)
2. रामचरण पुत्र देवीलाल अहिरवार(हरिजन)
बल्लीबाई वेवा बारेलाल अहिरवार मृत वारिस
3. कलीबाई पुत्री बारेलाल पत्नी गणेशराम अहिरवार(हरिजन)
4. हरकुंवरबाई पत्नी पप्पू अहिरवार(हरिजन)
5. पप्पू पुत्र अमना अहिरवार(हरिजन)
6. रामकली बाई पत्नी चऊआ अहिरवार (हरिजन)
7. चऊआ पुत्र चतरा अहिरवार(हरिजन)
समस्त निवासीगण ग्राम सकवारा तहसील चन्देरी जिला अशोकनगर

.....आवेदकगण

बनाम

1. अनेक सिंह चन्दन सिंह लोधी
2. केरन सिंह पुत्र गजराज सिंह लोधी
3. अजुद्धी पुत्र कुवंरलाल लोधी
4. भागीरथ पुत्र कुवंरलाल लोधी
5. कोमल पुत्र कुवंरलाल लोधी
6. शिशुपाल पुत्र बालचन्द्र लोधी समस्त निवासी गण ग्राम सकवारा तहसील चन्देरी जिला अशोकनगर म.प्र.
7. म0प्र0 शासन द्वारा अनु.वि.अधि. चन्देरी जिला अशोकनगर

.....अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959
न्यायालय अनु.वि.अधि. चन्देरी जिला अशोकनगर के प्रक.
10/2014-15/अपील में पारित आदेश दिनांक 21.09.
2017 के विरुद्ध निगरानी प्रस्तुत।


S. P. Shahda
6.11.17

श्री एस.पी. शाहदा
06/11/17
भारता प्रज्वारी (रा.अं.)
भा.रा.सं. महाविद्यालय, ग्वालियर

न्यायालय राजस्व मण्डल, म० प्र०, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक दो/निगरानी/अशोकनगर/भूरा/2017/4280

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिमात्रों आदि के हस्ताक्षर
1.2.19	<p>आवेदक के अधिवक्ता श्री एस० पी० धाकड उपस्थित। आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि इस न्यायालय में आवेदक अधिवक्ता द्वारा अनुविभागीय अधिकारी चंदेरी जिला अशोकनगर के प्रकरण क्रमांक 10/2014-15/अपील में पारित आदेश दिनांक 21/09/17 के विरुद्ध म० प्र० भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा-50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।</p> <p>2- म० प्र० भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 में वर्ष 2018 में किये गये संशोधन प्रभावी दिनांक 25.9.18 के अनुसार संहिता की धारा 50 (2) इस प्रकार है:-</p> <p>धारा-50 (2) पुनरीक्षण के लिये कोई आवेदन-</p> <p>(ख) इस संहिता के अधीन प्रथम अपील में पारित किसी अंतिम आदेश के विरुद्ध ग्रहण नहीं किया जावेगा।</p> <p>3-परिणामस्वरूप इस न्यायालय में संचालित नही होने के कारण प्रकरण अपर आयुक्त संभाग ग्वालियर के न्यायालय में स्थानांतरण किया जाता है तथा पक्षकार दिनांक 29/03/19 को उपस्थित हों।</p> <p>पेशी दिनांक 29/3/19</p> <p><u>अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर</u></p>	 सदस्य